ग्राम पंचायत ममाण बनान्दर, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग—एक

1 **(क) प्रस्तावनाः—** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत ममाण बनान्दर, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती शशी कुमारी	01.04.13 से 22.1.16
2	श्री खेम सिंह	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री सुधीर कुमार	01.04.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत ममाण बनान्दर के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	6	रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करना	—
2	7	अनुदान राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करना	2.22
3	9	अनुदान राशि का उपयोग न करना	7.74
4	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	3.75
5	12	रोकड़ बही में कम राशि दर्ज करके उसका दुर्विनियोजन करना	0.01
6	14	मजदूरी के रूप में किये गये भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	0.44

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत ममाण बनान्दर, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 24.9.2016 से 30.9.2016 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गयाः—

वित्तीय वर्ष	आय के लिए चयनित मास	व्यय के लिए चयनित मास
2013—14	07 / 2013	11 / 2013
2014—15	08 / 2014	07 / 2014
2015—16	04 / 2015	05 / 2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना/अभिलेख उपलब्ध न करवाये जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत ममाण बनान्दर, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/— बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 144/2016 दिनांक 30.9.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ममाण बनान्दर से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः—

ग्राम पंचायत ममाण बनान्दर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी

(क) स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)			व्यय (₹)		
		स्वस्त्रोत	विभिन्न अनुदान	योग (₹)	स्वस्त्रोत	विभिन्न अनुदान	अन्तिम शेष
2013—14	459987.55	56476	886286	1402749.55	8818	550150	843781.55
2014—15	843781.55	55889	482753	1382423.55	7294	429290	895839.55
2015—16	895839.55	69744	1209663	275246.55	25079	716576	1433591.55

दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष	
रोकड़ बही / वित्तीय स्थिति अनुसार	₹1433591.55
बचत खाता संख्या 31510100016 अनुसार (हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक लड़भड़ोल)	₹1625542.55

(ख) मनरेगा

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	332552.50	983090	1315642.50	1252572	63070.50
2014–15	63070.50	381064	444134.50	450263	(–) 6128.50
2015–16	6128.50	266456	260327.50	266456	(–) 6128.50

दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष	
रोकड़ बही अनुसार	(–)6128.50
बचत खाता सं0 31510105406 अनुसार (हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, लड़भड़ोल)	₹42.50

नोटः– रोकड़ बही एवं बचत खाते को बैंक समाधान विवरणी इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट–2"** में दी गई है।

(ग) वाटरशैडः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	356647	27122	383769	261191	122578
2014–15	122578	1972	124550	105371	19179
2015–16	19179	52188	71367	17168	54199

दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष	
रोकड़ बही अनुसार	₹54199
बचत खाता सं0 31510109164 अनुसार (हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, लड़भड़ोल)	₹54199

नोटः– पंचायत की वित्तीय स्थिति का सम्पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट 1 से 3** में दिया गया है।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करनाः–

ग्राम पंचायत ममाण बनान्दर को रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही एवं बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही तथा बैंक के अन्तिम शेष में ₹191951 (1433591.55–1625542.55) का भारी अन्तर था। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहहियों एवं बैंक खातों का मिलान करना सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

6 रोकड़ बहियों का रख–रखाव नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत ममाण बनान्दर की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार नहीं किया जा रहा है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में अथशेष व अन्तिम शेष से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ नहीं की जा रही है एवं पंचायत द्वारा कुछ मामलों में प्राप्त अनुदान राशियों को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है। पंचायत द्वारा कई बार प्राप्त अनुदान राशि को रोकड़ बही में दो बार दर्ज कर दिया गया है। जिस कारण पंचायत की रोकड़ बही पंचायत की वास्तविक वित्तीय स्थिति को परिलक्षित नहीं करती है। अतः अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बही नियमानुसार तैयार की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

7 अनुदान ₹2.22 लाख को रोकड़ बही में दर्ज न करने के सन्दर्भ में:–

ग्राम पंचायत ममाण बनान्दर की स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान रोकड़ बही एवं इससे सम्बन्धित बचत खाते की पास बुक में प्राप्त अनुदानों के मिलान की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार ₹222021 के प्राप्त अनुदान राशि को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया हैः–

क्र0सं0	दिनांक	राशि	अनुदान प्राप्ति का स्त्रोत
1	23.4.13	13877	13वाँ वित्त आयोग
2	8.6.13	1800	दरूस्ती राशि श्रीमती राधा देवी
3	5.7.13	20274	जिला पंचायत अधिकारी
4	10.9.13	4675	विवरण नहीं
5	17.9.13	22796	जिला पंचायत अधिकारी
6	14.10.13	1279	–यथोपरि–
7	13.11.13	28200	खण्ड विकास अधिकारी
8	26.11.13	15150	मानदेय पंचायत पदाधिकारी
9	12.12.13	4950	वर्णन/विवरण नहीं
10	4.2.14	1000	दरूस्ती, देवी सिहं
11	6.3.14	84372	खण्ड विकास अधिकारी
12	11.6.14	4050	विवरण दर्ज नहीं
13	18.9.14	5971	जिला पंचायत अधिकारी
14	18.5.15	3638	दरूस्ती केहर सिंह
15	18.5.15	4494	दरूस्ती मेहर सिंह
16	29.5.15	5495	यात्रा भत्ता पंचायत पदाधिकारी
	योग	**222021**	

ग्राम पंचायत द्वारा इतनी अधिक प्राप्त अनुदान एवं अन्य आय को रोकड़ बही में दर्ज न करना पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही को परिलक्षित करता है एवं इस कारण रोकड़ बही पंचायत की सही वित्तीय स्थिति को परिलक्षित नहीं करती है, जिस बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये इन अनुदान राशियों/आय को अविलम्ब रोकड़ बही में लिया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

8 बजट प्राकलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राकलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राकलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राकलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 अनुदान ₹7.74 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–4** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹774132 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 निर्माण कार्यो के प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/– व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता था। अभिलेख की जाँच

में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में लाखों रूपये की राशि का व्यय विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर किया गया है, किन्तु इन समस्त निर्माण कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख जांच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय की गई यह राशि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्माण कार्यों पर व्यय की गई इन समस्त राशियों के प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति एवं प्राकलन से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किए जाए ताकि इन समस्त व्ययों की तदानुसार जाँच की जा सके।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही ₹3.75 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा ₹374856.50 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया है, जिसका विस्तृत ब्यौरा **परिशिष्ट "5"** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोंर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 रोकड़ बही में कम राशि दर्ज करके एवं योगों में गलती करने के कारण ₹0.01 लाख का सम्भावित दुर्विनियोजनः–

(क) ग्राम पंचायत की स्व स्त्रोत एवं विभिन्न अनुदान की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि पंचायत के नियन्त्रण अधिकार द्वारा निम्नविवरणानुसार प्राप्त आय को रोकड़ बही में कम दर्ज करके ₹636 का दुर्विनियोजन किया गया हैः–

क्र0 सं0	रसीद सं0	दिनांक	प्राप्त राशि	रोकड़ बही में दर्ज राशि	कम दर्ज राशि	टिप्पणी रोकड़ बही पृ0सं0
1	010949 से 011000	8.7.13	2670	2615	55	69
2	43501 से 43535	8.7.13	1745	1655	90	69
3	43536 से 43575	10.7.13	2120	2070	50	70
4	43907 से 43931	15.7.13	1240	1235	5	71
5	43941 से 44000	17.7.13	2945	2769	176	72
6	43833 से 43836	17.7.13	250	245	5	72

7	43837 से 43888	22.7.13	2430	2405	25	72
8	998401 से 998408	6.4.15	230	200	30	015
9	998525 से 998600	24.4.15	3835	3635	200	017
				योग	**636**	

पंचायत द्वारा उपरोक्त विवरण अनुसार ₹636 की राशि को रोकड़ बही में कम दर्ज करने उपरान्त इस राशि को बैंक में भी कम जमा करवाया गया था तथा इस प्रकार सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा इस राशि का दुर्विनियोजन कर लिया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये इस राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करने उपरान्त इसे पंचायत खाते में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए।

(ख) पंचायत की स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2013–14 में पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा वाउचर संख्या 1 एवं 2 द्वारा क्रमशः ₹14625 एवं 3600 का व्यय दर्शाया गया था किन्तु इसके विरूद्ध बैंक से चैक संख्या 173301 द्वारा ₹18825 की निकासी की गई थी। इस प्रकार पंचायत द्वारा ₹18225 (14625+3600) के व्यय के विरूद्ध ₹18825 की निकासी कर ₹600 का दुर्विनियोजन किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये इस राशि की वसूली अविलम्ब सम्बन्धित कर्मचारी से करने उपरान्त पंचायत खाते में जमा करवाई जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ग) पंचायत की स्वः स्त्रोत व विभिन्न रोकड़ बही अनुसार वर्ष 2013–14 में पृष्ठ संख्या 69 अनुसार माह 06/2013 में हस्तगत ₹66 थी, जिसे माह 7/2013 में अथशेष के रूप में ले जाया गया था। किन्तु इस राशि को माह 7/2013 में कुल जमा राशि में न दर्शा कर इस राशि को सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा दुर्विनियोजन कर लिया गया प्रतीत होता है, जिस बारे विभागीय स्तर पर पूर्ण जाूच उपरान्त वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

13 निर्माण कार्य चैक डैम नाला रथैर में ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान एवं अन्य अनियमितताओं के सन्दर्भ में:–

ग्राम पंचायत द्वारा चैक नाला रथैर का कार्य वर्ष 2015–16 में मनरेगा के अन्तर्गत करवाया गया था। उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ है, जिनका निराकरण अपेक्षित है:–

(क) माप पुस्तिका 13109 पृष्ठ 6 अनुसार इस कार्य हेतु फोर्म वर्क (F08m Work) 12.25m2 किया गया था, जबकि माप पुस्तिका अनुसार (पृष्ठ–7) इस कार्य हेतु 32m2 शटरिंग किराये पर ली गई थी, जोकि किये गये Form Work कार्य से 19.75m2 अधिक थी। अतः अधिक ली गई शटरिंग

बारे वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए अन्यथा इसकी वसूली ₹987.50 (19.75m2x50) दोषी व्यक्ति से वसूल करने उपरान्त पंचायत खाते में जमा करवाई जाए।

(ख) उक्त निर्माण कार्य का अन्तिम मस्ट्रोल क्रमांक 1425 अवधि 2.9.2014 से 15.9.2014 का था एवं जिसकी कार्य प्रगति माप पुस्तिका 13109 पृष्ठ 7 में दर्ज की गई थी। किन्तु जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त कार्य हेतु श्री महेन्द्र सिंह, बनान्दर से ₹20500/– का रेत, बजरी आदि उनके बिल संख्या 018 दिनांक 21.9.14 द्वारा क्रय किया गया है एवं जिसका भुगतान वाउचर संख्या 02 दिनांक 27.5.2015 द्वारा किया गया है।

अतः कार्य समाप्ति उपरान्त रेत, बजरी आदि क्रय करना संदेहास्पद है, जिस बारे में विभागीय स्तर पर जाँच करते हुये वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

14 मजदूरी के रूप में ₹0.44 लाख के भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ₹44409 का भुगतान मजदूरी के रूप में विभिन्न कार्यों हेतु निम्न विवरणानुसार किया गया हैः–

क्र0सं0	रोकड़ बही का विवरण	वा0 क्रमांक	दिनांक	मस्ट्रोल क्रमांक	अवधि	राशि	टिप्पणी निर्माण कार्य
1	स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान	17	16.7.14	032977	1.2.14 से 28.2.14	2802	–
2	–यथोपरि–	15	12.5.15	032995	4/2015	14252	स्कूल भवन, भराडपटट
3	वाटर शैड	14	19.11.13	032962	10/2013	1413	खुरली राजेश
4	वाटर शैड	15	19.11.13	032964	10/2013	1834	वर्मी कम्पोस्ट जोगिन्द्र सिंह
5	वाटर शैड	16	19.11.13	032963	10/2013	1834	वर्मी कम्पोस्ट, हाम्भ
6	वाटर शैड	22	25.11.13	032966	10/2013	20440	टैंक, राजेश कुमार वर्मी कम्पोस्ट महेन्द्र सिंह
7	वाटर शैड	24	25.11.13	032965	10/2013	1834	
					योग	**44409**	

पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा मजदूरी के रूप में किए गए उपरोक्त भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में मजदूरों द्वारा किये गये कार्य की प्रगति एवं वास्तव में किये गये कार्य हेतु इतनी मजदूरी देय थी अथवा नहीं की जाँच नहीं की जा सकी। अतः इन वाउचरों द्वारा किये गये भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिका आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित की जाए ताकि उसकी तदानुसार जाँच की जा सके।

15 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व अन्य विभिन्न नियमों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	विविधानों के लिए रजिस्टर	1	12 (1), 27 (1)
2	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	4	13 (5)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77 (4)
5	बजट प्राक्कलन	11, 12	37, 38
6	गैर खपने वाली वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	25	72 (1)
7	लेखन सामग्री से भिन्न खपने वाली वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	26	72 (1) ख
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1) (ग)
9	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	96 (1)

16 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

17 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

18 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में सुधार के अतिरिक्त रोकड़ बहियों में आय व व्यय की समस्त प्रविष्टियों को दर्ज करने एवं इनके लेखन में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (xi) 15/2017–खण्ड–1–1647–1650 दिनाँकः 20.03.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत ममाण बनान्दर विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.